

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख

अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या : 119/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/169)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. सरजीत कौर पत्नी महेन्द्र राम पुत्री काना राम तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 06.05.2025

उपस्थित: 1. श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 18.06.2025

- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 43 जीजी, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 35/35 में वादी के नाम 0.538 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में वादी का नाम रजी पुत्री काना राम अंकित है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम सरजीत कौर दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व में वादिया के पिता काना राम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। कानाराम की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उक्त भूमि वादिया को विरास्तन प्राप्त हुई। उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय वादिया का सहवन से नाम रजी दर्ज कर दिया गया। वादिया का वास्तविक नाम सरजीत कौर है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 43 जीजी, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 35/35 में अंकित नाम रजी पुत्री काना राम के स्थान पर सरजीत कौर पुत्री काना राम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
- वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 1330 दिनांक 05.06.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 43 जीजी के खाता संख्या 35 की कुल 5.377 हैक्टेयर भूमि में वादिया के नाम 538/5377 हिस्सा खातेदारी रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त नाम इन्तकाल संख्या 134 स्वीकृत दिनांक 06.05.1989 को राजस्व रिकॉर्ड में रज्जी दर्ज हुआ। जो कि आज तक रिकॉर्ड में यथावत चला आ रहा है। गांव 43 जीजी में उपस्थित लोगों से पूछताछ में रज्जी उर्फ सरजीत कौर पुत्री काहना राम बताया गया। साक्ष्यवादी में गवाह सरजीत कौर के द्वारा शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। सामिल मिसल किया गया।
- बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 43 जीजी, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 35/35 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी



सहायक/कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

के द्वारा राजस्व ग्राम 43 जीजी, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 35/35 में क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम रजी के स्थान पर सरजीत कौर दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति में नाम सरजीत कौर दर्ज है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 43 जीजी के खाता संख्या 35 की कुल 5.377 हैक्टेयर भूमि में वादिया के नाम 538/5377 हिस्सा खातेदारी रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त नाम ईन्तकाल संख्या 134 स्वीकृत दिनांक 06.05.1989 को राजस्व रिकॉर्ड में रज्जी दर्ज हुआ। जो कि आज तक रिकॉर्ड में यथावत चला आ रहा है। गांव 43 जीजी में उपस्थित लोगों से पूछताछ में रज्जी उर्फ सरजीत कौर पुत्री काहना राम बताया गया। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136— भू—राजस्व अधिनियम—1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 43 जीजी, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 35/35 में क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम रजी के स्थान पर रजी उर्फ सरजीत कौर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैंसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

सहायक उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सहायक उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)




निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास मुनाया गया।

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
सरजीत कौर बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर 119/2025
निर्णय दिनांक :- 18.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 43 जीजी, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्बत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 35/35 में क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम रजी के स्थान पर रजी उर्फ सरजीत कौर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
आज दिनांक 18.06.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (राजस्थान)
भिलाई नगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00


श्योराम (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (राजस्थान)
भिलाई नगर
दिनांक: 18.06.2025

क्रमांक: रीडर/2025/384

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।


सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (राजस्थान)
भिलाई नगर

